कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा./पीएसपी/अ–2/नियमित प्रबोधन/2024/19823 दिनांकः यथा हस्ताक्षर

समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

समस्त संस्था सचिव/प्रधान गैर सरकारी विद्यालय

विषयः **समस्त विद्यालयों (निजी विद्यालयों सहित) को विभाग द्वारा जारी शिविरा कलेण्डर की पूर्णतया पालना करने के संबंध में।**

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों (निजी विद्यालयों सहित) को विद्यालय में होने वाले ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन एवं मध्यावधि अवकाश की पूर्णतया पालना विभाग द्वारा जारी शिविरा कलेण्डर के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। विभाग द्वारा शिविरा पंचाग 2024–25 के अन्तर्गत **दिनांक 25.12.2024 से 05.01.2025 तक** शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है।

अतः राज्य में संचालित समस्त विद्यालयों (निजी विद्यालयों सहित) को निर्देशित किया जाता है शीतकालीन अवकाश विभाग द्वारा जारी शिविरा कलेण्डर के अनुसार ही किया जाना सुनिश्चित करावें।

यदि किसी गैर सरकारी विद्यालय द्वारा निधारित अवधि अनुसार शीतकालीन अवकाश नहीं किया जाता अथवा अवकाश के दौरान विद्यालय का संचालन किया जाता है तो इस स्थिति में विद्यालय के विरूद्ध **राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993** में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

सीताराम जाट
(आई.ए.एस.)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर